राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

खाद्य भवन, भूतल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

क्रमांक :एफ.3(6)आप्र.एवं सहा./स्था./2020/ 16011-18 जयपुर, दिनांक: 23-12-2020

–::आदेश::–

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग जयपुर के पत्रांक प.1(2)प्र. सु. /अनु. –3/2020 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा विभाग को आवंटित किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के तहत कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थाई आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15 (1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer- Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/– रूपये प्रतिमाह एवं परिवीक्षाधीनकाल संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त पे मैट्रिक्स लेवल संख्या 05 पर अद्योलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है:–

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	वर्ग	रोल न.	जन्म तिथि
1	श्री कृष्णकान्त मीना	श्री पतराम मीना	अनु. जनजाति	1590233	04.10.1997

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किये जाने एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश हैल्थ प्रोटोकोल की पालना सुनिश्चित करते हुए अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। जो अभ्यार्थी किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, वे पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवे कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. जो अभ्यार्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through, proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
3. अभ्यार्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
4. अभ्यार्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
5. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 12.03.2006, 6(6)एफडी/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 16 व अनुसूची IV दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत (पारिश्रमिक वेतन) के हकदार होगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता महगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एसएलवी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ 13(1) वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।
7. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015 पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011 /68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

ACP

8. इस विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य (adverse reports) पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
9. अभ्यार्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/- रूपये सममूल्य के नौन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पर प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनके सेवाये तत्काल समाप्त कर सकेगी।
10. परीवीक्षाकाल में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नही होगी।
11. यदि अभ्यार्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नही पाया गया अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
12. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या 05 में नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगे।
13. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रवधानों के अनुसार देय होगें।
14. यदि किसी अभ्यार्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते है तो राज्य सरकार इनकी सेवाए तत्काल समाप्त कर सकेगी।
15. अभ्यार्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
16. चयनित अभ्यर्भियों की वरिष्ठता प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) पत्रांक प. 1(2) प्र.सु0/अनु-3/2020 दिनांक 18.06.2020 के अनुसार इस विभाग हेतु निर्धारित योग्यता सूची के अनुसार योग्य क्रम में ही रहेगी।
17. अभ्यार्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
18. अभ्यार्थी कार्यग्रहण करते समय पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, परिवार का विवरण, घोषणा पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र दहेज नही लेने-देने का शपथ पत्र दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नही होने संम्बन्धी शपथ- पत्र/घोषणा पत्र एवं अन्य शपथ पत्रों की मूल रूप (Original Documents) का मिलान एवं सत्यापन करवाने के पश्चात ही कार्यग्रहण स्वीकार किया जावेगा तथा इनकी सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
19. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के पत्रांक प. 1(2)प्र.सु./अनु-3/2020 दिनांक 18.06.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
4. प्रोग्रामर, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
5. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
7. सम्बन्धित अभ्यार्थी श्री कृष्णकान्त मीना पुत्र श्री पतराम मीना, ग्राम पोस्ट, जाहिरा, तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर, राजस्थान-322211 (मो. 9983290464) को भेजकर लेख है कि अपना मेडिकल मुआयना मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कराकर स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबन्धित मूल प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र के साथ अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें।
8. लेखा शाखा (भुगतान), आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव